न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण

मृतक श्री सरदारमल जी पुत्र कालूजी, जाति– पुरोहित, निवासी– फुंगणी, तहसील व जिला– सिरोही के वारिसदार एवं कायम मुकाम :–

1. श्रीमती नर्मदा देवी पत्नी स्वर्गीय सरदारमल जी, जाति– पुरोहित, निवासी– फुंगणी, तहसील व जिला– सिरोही
2. सांवतराज पुत्र स्वर्गीय सरदारमल जी, जाति– पुरोहित, निवासी– फुंगणी, तहसील व जिला– सिरोही
3. मंजीत पुत्र स्वर्गीय सरदारमल जी, जाति– पुरोहित, निवासी– फुंगणी, तहसील व जिला– सिरोही
4. श्रीमती अनिता पत्नी झालाराम जी, पुत्री स्वर्गीय सरदारमल जी, जाति– पुरोहित, हाल निवासी– सिलोईया, तहसील व जिला– सिरोही
5. श्रीमती सेजल पत्नी पुखराज जी पुत्री स्वर्गीय सरदारमल जी, जाति– पुरोहित, हाल निवासी– सिलदर, तहसील व जिला– सिरोही
6. श्रीमती सुलोचना पत्नी दिलीप जी पुत्री स्वर्गीय सरदारमल जी, जाति– पुरोहित, हाल निवासी– तंवरी, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) श्री पुखराज पुत्र कालूजी, जाति–पुरोहित, निवासी–फुंगणी, तह0 व जिला–सिरोही
(2) ग्राम पंचायत, फुंगणी जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, फुंगणी, तह0 व जिला–सिरोही
(3) श्रीमती अंजना पत्नी सुभाष जी पुत्री स्वर्गीय सरदारमल जी, जाति– पुरोहित, निवासी–महालक्ष्मी मण्डप डेकोरेशन, पुरोहितों का वास, बरलुट, तह0 व जिला– सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 42/2021

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, प्रार्थीगण (निगरानीकार) की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री कैलाश नामा, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) पुखराज की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक 09 सितम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी पक्ष (निगरानीकार) की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी पुखराज पुत्र कालुजी पुरोहित, निवासी– फुंगणी के पक्ष में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूखण्ड़ का जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 10–12–2009 (जिस पर पट्टा नं. 29 बुक 139 दिनांक 10–12–2009 हस्तलिपि से अंकित है) को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (पुखराज) की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश नामा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी पुखराज की ओर से लिखित जबाव व दस्तावेज प्रस्तुत किये। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। इस निगरानी प्रकरण की सुनवाई के

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

दौरान प्रार्थी निगरानीकार श्री सरदारमल पुत्र कालूजी पुरोहित, निवासी— फुंगणी की मृत्यु हो जाने से प्रार्थी श्री सरदारमल पुत्र कालूजी पुरोहित के विधिक कायम मुकाम व वारिसदार (प्रार्थीगण) ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 1, 3 व 10 एवं आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया। जो बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जाकर रेकर्ड पर लिये जाने एवं अंजना पत्नी सुभाष जी पुत्री स्वर्गीय सरदारमल जी पुरोहित को बतौर पक्षकार अप्रार्थी संख्या 3 के रुप में जोडे जाने के आदेश पारित किये गये। तद्नुसार प्रार्थीगण ने संशोधित शीर्षक अनवान प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को भी नोटिस जारी किया गया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 29—8—2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थीगण (निगरानीकार) के विद्वान अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गांव फुगणी, तहसील व जिला सिरोही में राजीव गांधी पाठशाला (वर्तमान राजकीय प्राथमिक विद्यालय) फुंगणी के पश्चिम दिशा में पीछे आबादी भूमि में प्रार्थीगण पति/पिता सरदारमल जी के पुश्तैनी पटटाशुदा भूखण्ड, जिस पर प्रार्थीगण का रहवासी मकान बना हुआ हैं, एवं जो कि प्रार्थीगण के पति/पिता के परिवार के सदस्यों के बीच आपसी बंटवाड़े व पारिवारिक समझौते में प्रार्थी के पिता व उसके भाई लक्ष्मणराम के हिस्से में आधा—आधा आया हुआ हैं, एवं उपरोक्त हिस्से के रहवासी, मकान के दक्षिण दिशा में प्रार्थी के पति/पिता का पुराना कदीमी कब्जाशुदा भूखण्ड भी आया हुआ हैं, जिसे कि प्रार्थीगण द्वारा गाय वगैरह पशु के बांधने, गोबर व चारा वगैरह डालने तथा बाड़े के रूप में कई वर्षों से उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है। प्रार्थीगण के कदीमी कब्जाशुदा भूमि के उपरोक्त स्थल का ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी पुखराज पुत्र कालुजी के हक **में भूखण्ड संख्या 10, पट्टा संख्या 29, दिनांक 10—12—2009 को जारी किया है एवं** उसके साथ में **भूखण्ड संख्या 9** का भी अप्रार्थी पुखराज पुत्र कालूजी के हक में पूर्णतः गलत एवं विधिविरूद्ध रूप से बारों—बार जारी किया गया है। अप्रार्थी पुखराज द्वारा उपरोक्त दोनों ही भूखण्ड, भूखण्ड संख्या 9 व भूखण्ड संख्या 10 ग्राम पंचायत फूंगणी से निलामी में खरीद करना बताया जा रहा हैं, उक्त भूखण्ड संख्या 10 का नाप उत्तर 30 फीट, दक्षिण 30 फीट, पूरब 45 फीट, व पश्चिम 45 फीट कुल 1350 वर्गफीट है एवं चतुर्दशी उत्तर में प्रार्थीगण का पटटाशुदा मकान, जो प्रार्थी के हिस्से में आया, दक्षिण में भूखण्ड संख्या 11, पूरब में 3 फीट गली, जो राजीव गांधी पाठशाला का भाग हैं एवं पश्चिम में भूखण्ड संख्या 9 है। ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 10 अप्रार्थी पुखराज को निलामी में विक्रय कर पट्टा जारी करना बताया हैं, वह भूमि प्रार्थीगण के पुश्तैनी कब्जे में रही हैं, उपरोक्त भूमि कभी भी खाली भूखण्ड के रूप में नहीं रहा हैं, तथा न ही उपरोक्त भूखण्ड की कभी भी ग्राम पंचायत फुंगणी द्वारा कोई निलामी करवायी गयी हैं। यदि ग्राम पंचायत फुंगणी द्वारा कभी कोई निलामी करवायी होती तो सदैव फुंगणी में रहने वाले प्रार्थीगण को अवश्य ही जानकारी रहती, स्पष्ट हैं कि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से बारों—बार अप्रार्थी पुखराज को सदोष लाभ पहुंचाने की बदनियति से उक्त विवादित निलामी बताकर आलोच्य पटटा जारी किया गया हैं। उपरोक्त भूखण्ड संख्या 10 की चतुर्दशी से भी स्पष्ट हैं कि उपरोक्त भूखण्ड के किसी ओर रास्ता नहीं हैं, केवल मात्र भूखण्ड संख्या 9 और भूखण्ड संख्या 10 को मिलाने पर ही संयुक्त रूप से आगे पश्चिम दिशा में रास्ता बनता है जो कि अप्रार्थीगण की आपस में मेल—मिलाप स्पष्ट साबित करता हैं कि ग्राम पंचायत को कैसे पता था कि भूखण्ड संख्या 9 भी निलामी में अप्रार्थी पुखराज द्वारा ही खरीद किया जावेगा, एवं जिससे भूखण्ड संख्या 10 को भूखण्ड संख्या 9 के साथ मिलाते संयुक्त

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

रूप से पश्चिम दिशा में रास्ता उपलब्ध हो जावेगा। उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, फुंगणी ने अप्रार्थी पुखराज के साथ अवैध मेल मिलाप कर एवं विधि विरूद्ध तरीक से जारी किया गया हैं. जो अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त स्थल पर प्रार्थीगण के पति/पिता कदीम से काबिज हैं, उपरोक्त भूमि पट्टा जारी किये जाने हेतु कभी भी खाली ही नहीं रही हैं, न उपरोक्त भूमि के लिये ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा कभी भी कोई निलामी कार्यवाही आहुत की गयी है, तथा इसके अलावा भी सन् 2009 में उक्त भूखण्ड की कीमत 50,000/— (अक्षरे पचास हजार) से भी ज्यादा थी. जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त पट्टा केवल मात्र अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी औपचारिकता के बारों—बार पूर्णतः गलत जारी करवाया गया है। उक्त पट्टा बाबत् जिला परिषद्, सिरोही द्वारा भी जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाकर बारों—बार भूमि की दर से काफी कम कीमत पर गलत पटटा जारी किया गया, एवं उक्त जांच के उपरान्त अप्रार्थी पुखराज के पक्ष में जारी उक्त पटटा को निरस्त करवाने हेतु निगरानी प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गयी हैं। ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा वादग्रस्त स्थल पर प्रार्थीगण के कदीमी कब्जे को दरकिनार कर व तथ्यों व मौका स्थिति को अनदेखा कर **अप्रस्तावित पटटा संख्या 29, जो कि मूल पटटा बुक में पटटा संख्या 9 के अंक से भी** दर्शित हैं, ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी पुखराज के पक्ष में दिनांक 10—12—2009 को नियम विरुद्ध रुप से जारी किया है। जिस भूखण्ड का अप्रार्थी पुखराज के पक्ष में विवादग्रस्त पट्टा जारी किया जाना बताया जा रहा हैं, वह भूखण्ड प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जाशुदा है, जिस पर उक्त अवैध पटटा की आड लेकर अप्रार्थी पुखराज द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश करने पर प्रार्थी द्वारा मना करने पर अप्रार्थी पुखराज द्वारा पट्टा जारी करवा देना बताने पर प्रार्थी को यह रीविजन पेश करने का कारण पैदा हुआ है, जिससे प्रार्थी, ग्राम पंचायत, फुंगणी के इस आदेश का पुनरीक्षण करवाने के लिये प्रार्थी हित्तबद्ध व्यक्ति है, जिसका इस पुनरीक्षण याचिका में हित निहित है। प्रार्थीगण के कदीमी कब्जाशुदा भूमि पर अप्रार्थी पुखराज के हक में जारी नियम विरुद्ध पट्टे की जानकारी तब हुई, जब अप्रार्थी पुखराज व उसके परिवार द्वारा प्रार्थीगण के भूखण्ड पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करने पर प्रार्थीगण के पति/पिता द्वारा मना करने पर अप्रार्थी पुखराज द्वारा पट्टा जारी करवा देना बताने पर प्रार्थीगण के पति/पिता ने ग्राम पंचायत, फुंगणी में सम्पर्क किया, परन्तु ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा भी उक्त पटटे के सम्बंध में कोई जानकारी देने से मना कर दिया, जिसके बाद सिविल न्यायालय में अप्रार्थी पुखराज द्वारा स्वयं ही उक्त पट्टा की फोटोप्रति पेश करने पर प्रार्थीगण के पति/पिता को उक्त अवैध पटटे की जानकारी हुयी, जिससे उक्त जानकारी होते ही अविलम्ब पुनरीक्षण याचिका अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थीगण निगरानीकार का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी पुखराज पुत्र कालुजी पुरोहित, निवासी—फुंगणी के हक में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 29 (जिसके मूल पट्टा बुक में पट्टा संख्या 9 अंकित है) दिनांक 10—12—2019 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) पुखराज के विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश नामा ने बहस के दौरान अप्रार्थी पुखराज के जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गांव फुंगणी, तहसील व जिला सिरोही में राजीव गांधी पाठशाला (वर्तमान राजकिय प्राथमिक विद्यालय) फुगंणी के पश्चिम दिशा में पीछे आबादी भूमि में प्रार्थीगण के पति/पिता व अप्रार्थी पुखराज के पुश्तैनी पट्टाशुदा भुखण्ड जिस पर प्रार्थीगण के पति/पिता व अप्रार्थी का पुश्तैनी रहवासी मकान बना हुआ होने का कथन स्वीकार है, लेकिन प्रार्थीगण के पति/पिता के परिवार के सदस्यो के बीच आपसी बंटवारे व पारिवारिक समझौते में प्रार्थीगण के पति/पिता व उसके भाई लक्ष्मणराम के

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

हिस्से में आधा आधा आया हुआ होने का कथन गलत है एवं उपरोक्त हिस्से के रहवासी मकान के दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण के पति/पिता का पुराना कदीमी कब्जाशुदा भुखण्ड होने का कथन भी गलत है। जबकि हकीकत यह है कि ग्राम पंचायत, फुंगनी द्वारा की गई निलामी में उक्त भुखण्ड को निलामी में उच्चतम बोली लगाकर अप्रार्थी पुखराज द्वारा खरीद किया गया है। प्रार्थीगण के पति/पिता स्वर्गीय सरदारमल जी व अप्रार्थी पुखराज आपस मे सगे भाई है। अप्रार्थी पुखराज का अपनी आजिविका के लिए गांव से बाहर चेन्नई में होने का प्रार्थीगण द्वारा फायदा उठाकर उक्त भुखण्ड पर निगरानी पेश करने के कुछ समय पूर्व से गाय बांधी जाने लगी। प्रार्थीगण या उनके पति/पिता का उक्त भूखण्ड संख्या 9 व 10 पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उक्त भूखण्ड़ नीलामी में विक्रय किये गये। अप्रार्थी पुखराज द्वारा प्लॉट संख्या 9 को दिनांक 08—12—2009 को कार्यालय ग्राम पंचायत फुगणी में रसीद क्रमांक 183 अमानत राशि निलामी बोली हेतु धरोहर राशि के रूप से 1000/— रुपये (अक्षरे एक हजार रूपये) जमा कर एवं निलामी में उंची बोली बोलने के बाद दुसरे दिन दिनांक 09—12—2009 को कार्यालय ग्राम पंचायत में रसीद क्रमांक 193 से निलामी बोली के 25 प्रतिशत राशि एवं अन्य खर्च रूपये 8700/— रूपये (अक्षरे आठ हजार सात सौ रूपये) जमा करवाये गए एवं अन्य बकाया राशि प्लॉट संख्या 9 की निलामी की शेष राशि का 3/4 भाग यानि 75 प्रतिशत राशि 26100/— रुपये (अक्षरे छब्बीस हजार एक सौ रूपये) जमा करवाये जाने के बाद ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वास उक्त भुखण्ड संख्या 9 का कब्जा एवं पट्टा सुपुर्द किया गया था तब से अप्रार्थी पुखराज ही उक्त पट्टे का स्वामित्व एवं उक्त भूखण्ड़ का कब्जा धारण किये हुए है तथा अप्रार्थी पुखराज द्वारा प्लॉट संख्या 10 को दिनांक 08--12—2009 को कार्यालय ग्राम पंचायत फुंगणी में रसीद क्रमांक 182 अमानत राशि निलामी बोली हेतु धरोहर राशि के रूप में 1000/— रुपये (अक्षरे एक हजार रूपये) जमा कर एवं निलामी ने उंची बोली बोलने के के बाद दुसरे दिन दिन दिनांक 09—12—2009 को कार्यालय ग्राम पंचायत, फुंगणी में रसीद क्रमांक 192 से निलामी बोली के 25 प्रतिशत राशि एवं अन्य खर्च रूपये 8700/—रूपये (अक्षरे आठ हजार सात सौ रूपये) जमा करवाये गए एवं अन्य बकाया राशि प्लॉट संख्या 10 की निलामी की शेष राशि का 3/4 भाग यानि 75 प्रतिशत राशि 26100/— रुपये (अक्षरे छब्बीस हजार एक सौ मात्र) जमा करवाकर ग्राम पंचायत, फुगणी द्वारा उक्त भुखण्ड संख्या 9 का कब्जा एवं पट्टा सुपुर्द किया गया था तब से अप्रार्थी पुखराज ही उक्त पट्टे का स्वामित्व धारण करके उक्त भुखण्ड पर काबिज है तथा उक्त दोनो भुखण्डो के पट्टे जारी हो जाने के बाद अप्रार्थी पुखराज द्वारा उक्त भुखण्ड पर पत्थर डलवाएं एवं दिनांक 23—07—2020 को उक्त भुखण्ड पर चारदीवारी निर्माण हेतु दिनाक 23—07—2020 को अप्रार्थी पुखराज द्वारा निर्माण स्वीकृति ग्राम पंचायत फुंगणी से लेने हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 23—07—2020 को ग्राम पंचायत द्वारा रसीद क्रम संख्या 5 से राशि रुपये 1120/— (अक्षरे रुपये एक हजार बीस मात्र) निर्माण स्वीकृति बाबत् प्राप्त कर नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्रदान की गई, परन्तु अप्रार्थी पुखराज के आवश्यक कार्य होने से अप्रार्थी पुखराज अपने गांव से अपने आजिविका हेतु मद्रास जाने के बाद अप्रार्थी पुखराज के पीठ पीछे प्रार्थीगण के पति/पिता उक्त भूखण्ड़ पर परकोटा निर्माण करना शुरू किया जिसकी जानकारी अप्रार्थी पुखराज को होने पर अपने कार्य स्थल चेन्नई मद्रास से रवाना होकर अपने गांव आया और उक्त काम को रूकवाने जाने पर प्रार्थीगण अपने परिवारजन के साथ आकर अप्रार्थी पुखराज व उसके परिवारजन से झगडा फसाद करने लगे जिस पर अप्रार्थी पुखराज द्वारा उक्त भुखण्ड पर अतिक्रमण करने बाबत् शिकायत ग्राम पंचायत, फुंगणी एवं ग्राम विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही को दिनांक 16—12—2020 एवं

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आनलाईन शिकायत 26—212—2020 को की गई तथा पुनः एक दर्ज परिवाद संख्या 12203639180512 की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरोही को दिनांक 08—01—2021 एवं एक लिखित रिपोर्ट पुलिस, थाना कालन्द्री में दिनांक 07—03—2021 को दी गई जिस पर प्रार्थीगण के पति/पिता को पुलिस द्वारा हिदायत दी गई और सीआरपीसी की धारा 107 की कार्यवाही अमल में लाई गई और कुछ समय तक प्रार्थीगण के पति/पिता ने अपनी गाय को बांधना बन्द कर दिया परन्तु अप्रार्थी के पुनः अपने कार्य स्थल मद्रास जाने के बाद पुनः गांय को बांधना शुरू किया एवं जबरन कब्जा करने लगा जिसकी जानकारी अप्रार्थी पुखराज को होने पर अप्रार्थी पुखराज ने एक परिवाद पुलिस अधीक्षक, सिरोही के समक्ष दिनांक 07—7—2021 को पेश किया गया जिसकी प्रारम्भिक जांच हो जाने के बाद प्रार्थीगण के पति/पिता पर भारतीय दण्ड संहिता कि धारा 447. 427 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया जिसके सी. आर. नम्बर 64/2021 हैं जो पुलिस थाना कालन्द्री में दर्ज होकर बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, सिरोही के समक्ष आरोप पत्र पेश होकर मुकदमा विचाराधीन है। प्रार्थीगण एक अतिक्रमी है तथा अप्रार्थी पुखराज स्वयं मालिक है एवं प्रार्थीगण को उक्त भुखण्ड संख्या 9 व 10 पर किसी भी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। भुखण्ड संख्या 9 व 10 को ग्राम पंचायत फुंगनी द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुए अप्रार्थी पुखराज को नीलामी में विक्रय कर विक्रय की राशि प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा भूखण्ड संख्या 9 व 10 को विधिवत प्रक्रिया अपनाकर आम नीलामी में विक्रय किया गया है एवं अप्रार्थी पुखराज द्वारा उक्त भूखण्ड़ संख्या 9 व 10 को नीलामी में उच्चतम बोली लगाकर खरीद किया है, जिसमें से भूखण्ड़ 9 का पट्टा क्रम संख्या 8 मिसल संख्या 05 बुक नम्बर 715 दिनांक 10—12—2019 को निलामी राशि 34000 /— (रूपये अक्षरे चौतीस हजार) में अप्रार्थी पुखराज ने क्रय कर प्राप्त किया है, जिसकी चतुदर्शी उत्तर में आबादी मकान, दक्षिण में प्लॉट नं. 11, पूर्व में प्लॉट नं. 10 व पश्चिम में आम रास्ता है व नाप उत्तर—दक्षिण 30 फीट व पूर्व—पश्चिम 45 फीअ कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट है तथा ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम के तहत निलामी में बेचे गए आबादी भुमि के विक्रय विलेख प्लोट संख्या 10, पट्टा क्रम संख्या 9 मिसल संख्या 06 बुक नम्बर 715 दिनांक 10—12—2009 निलामी रशि 34000/— (रूपये अक्षरे चौतीस हजार) में अप्रार्थी पुखराज ने क्रय कर प्राप्त किया है, जिसका नाप उत्तर—दक्षिण 30 फीट व पूर्व—पश्चिम 45 फीट कुल क्षेत्रफल 1350 फीट है। प्रार्थीगण का उक्त भुखण्ड पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही प्रार्थी उक्त भुखण्ड पर किसी भी प्रकार से काबिज है। प्रार्थीगण के पति/पिता व अप्रार्थी आपस में सगे भाई है व प्रार्थीगण ने अप्रार्थी पुखराज के अपनी आजिविका के लिए मद्रास चैन्नई बाहर होने का फायदा लेते हुए अवैध अतिक्रमण करने की नियत से आज दिनांक से यह निगरानी आवेदन पेश करने के कुछ समय पूर्व से उक्त भुखण्डों पर गाय बांधनी शुरू की। इस प्रकार प्रार्थीगण केवल मात्र एक अतिक्रमी है। गांव फुगणी, तहसील व जिला सिरोही में राजीव गांधी पाठशाला (वर्तमान राजकिय प्राथमिक विद्यालय) फुगनी के पश्चिम दिशा में पीछे आबादी भूमि में प्रार्थीगण के पति/पिता सरदारमल जी व अप्रार्थी के पिता श्री कालुजी पुत्र श्री लालजी पुरोहित, निवासी— फुंगणी के नाम से पुश्तैनी पट्टाशुदा भूखण्ड़ जिस पर प्रार्थीगण के पति/पिता व अप्रार्थी का पुश्तैनी रहवासी मकान बना हुआ जिसके पट्टा संख्या 47, बुक नम्बर 68, मिसले संख्या 01 दिनांक 15—10—2001 को 70x80 फीट कुल नाप 5600 वर्गफीट का प्रार्थी का पुश्तैनी उक्त भुखण्ड पर कब्जा होने पर ग्राम पंचायत द्वारा पुराने गृह का विनियमीतिकरण करने से राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत पट्टा जारी किया हुआ है जिसमे प्रार्थीगण के पति/पिता सरदारमल जी निवास करते थे व प्रार्थीगण निवास करते है। यह कि उक्त भुखण्ड संख्या 10 की चुतर्दशी में पूर्व कीं ओर 3 फीट

.....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

का रास्ता दर्शाया गया है तथा भूखण्ड़ संख्या 9 में पश्चिम दिशा की ओर रास्ता दर्शाया गया है। उक्त दोनो भुखण्डो को ग्राम पंचायत द्वारा की गई आम, निलामी मे अप्रार्थी पुखराज द्वारा खरीद किया है। उक्त दोनो प्लॉट पर रास्ता है। यह कि जिला परिषद्, सिरोही की जांच रिपोर्ट में कभी नहीं पाया कि उक्त भूखण्ड़ विक्रय करने से पंचायत को राजस्व का नुकसान हुआ है। नीलामी के समय उक्त पट्टे की नियमानुसार अधिकतम दर से अप्रार्थी पुखराज ने भूखण्ड़ों को खरीद किया है। ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा उक्त खसरा संख्या 431 आबादी भूमि का जारी नक्शें में से भुखण्ड संख्या 11 जो कि लीला पत्नी श्री अशोक कुमार के नाम से उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है तथा भूखण्ड संख्या 9 व 10 का अप्रार्थी पुखराज के नाम से जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा नीलामी के दिन अन्य व्यक्तियो को भी भुखण्ड निलामी में विक्रय किये थे, परन्तु प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थी पुखराज को हैरान परेशान करने कि नियत से यह निगरानी आवेदन पेश किया है। अप्रार्थी पुखराज ने उक्त भूखण्ड़ संख्या 9 व 10 को आम निलामी मे ग्राम पंचायत से खरीदकर नियमानुसार राशि जमा करवाकर पट्टा प्राप्त किया है तथा उक्त भुखण्ड पर एक छप्पर का कमरा बना हुआ है तथ उक्तं भुखण्ड पर वर्तमान में अप्रार्थी पुखराज द्वारा तारबन्दी करवाई हुई है तथा तथा निर्माण कार्य के लिए पत्थर भी पड़े हुए है। यह कि प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद प्रस्तुत किया था जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी, वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सिरोही के न्यायालय में पेश किया था जो कि दिनांक 13–08–2021 को माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सिरोही द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया तथा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1 सी.पी.सी. के तहत माननीय जिला न्यायालय, सिरोही में अपील प्रस्तुत की गई थी उस अपील को भी माननीय जिला न्यायालय, सिरोही द्वारा दिनांक 13–9–2021 को खारिज कर दिया गया है। अतः प्रार्थी निगरानीकार का निगरानीकार विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट के भूखण्ड़ (भूखण्ड़ संख्या 10) को आम नीलामी के माध्यम से विक्रय कर ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा उक्त भूखण्ड़ संख्या 10 क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूमि का अप्रार्थी पुखराज पुत्र कालुजी पुरोहित, निवासी– फुंगणी के पक्ष में पट्टा क्रम संख्या 09 दिनांक 10–12–2009 (जिस पर पट्टा नं. 29 बुक 139 दिनांक 10–12–2009 हस्तलिपि से अंकित है) को जारी किया गया है। जो नीलामी की राशि रुपये 34,000/– (अक्षरे रुपये चौतीस हजार मात्र) ग्राम पंचायत में अप्रार्थी पुखराज पुत्र कालुजी पुरोहित, निवासी– फुंगणी द्वारा जमा करवाये जाने के बाद जारी किया गया है।

इस संबंध में प्रार्थीगण का कथन यह है कि "प्रश्नगत भूखण्ड़ पर प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा है।" प्रार्थीगण ने इस कथन के समर्थन में ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा श्री सरदारमल पुत्र कालुजी पुरोहित, निवासी– फुंगणी को जारी कब्जा प्रमाण पत्र क्रमांकः48/2007–08 दिनांक 25–5–2007 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है, लेकिन राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अर्न्तगत कब्जा प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नही है। कब्जा प्रमाण पत्र के आधार पर किसी व्यक्ति को उस भूमि के स्वामित्व व मालिकाना हक प्राप्त नही होता है तथा कब्जे एवं स्वामित्व के विवाद को तय करने का अधिकार इस न्यायालय को नही होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड़ को आम नीलामी के माध्यम

.......पेज सात पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

से विक्रय किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि/भूखण्ड को आम नीलामी के माध्यम से तब ही विक्रय किया जाता है जब वह भूमि/भूखण्ड विवाद व कब्जे रहित हो।

जहां तक, प्रश्नगत भूखण्ड़ की नीलामी कार्यवाही में ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अनियमितता बरती जाने का प्रश्नगत है? प्रार्थी पक्ष ने इस संबंध में पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही को उनके पत्र क्रमांकःजिपसि/एस0ए0/2010—11/1575—89 दिनांक 06—9—2010 के सन्दर्भ में प्रेषित जांच रिपोर्ट की छाया प्रति तथा मुख्य काकर्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही को जारी पत्र क्रमांकःपंचायत/जांच/2010/7019 दिनांक 21—10—2011 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही को उनके पत्र क्रमांकःजिपसि/एस0ए0/2010—11/1575—89 दिनांक 06—9—2010 के सन्दर्भ में प्रेषित रिपोर्ट में पृष्ठ संख्या 4 पर बिन्दु ''स— भूमि का आल नीलामी से विक्रय'' में यह अंकित किया है कि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्थित भूमि की आम निलामी विक्रय की कार्यवाही की गई है। भूमि का आबादी प्लान बना हुआ नही है। ग्राम फुंगणी के खसरा संख्या 431 में भूमि निलामी कार्यवाही की गई है, लेकिन यह भूमि आबादी में है अथवा राजस्व भूमि है इस संबंध में पटवारी से रिपोर्ट नही ली गई है। पंचायत नियमों के अर्न्तगत भूमि का प्लान बनाया जाकर नगर नियोजक अथवा इसके समकक्ष से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है लेकिन सरपंच ने अपने स्तर पर प्लान तैयार कर हस्ताक्षर किये गये है जबकि इस पंचायत नियमों के अर्न्तगत विवित प्लान नही बनाया गया है। भूमि की आम नीलामी ईश्तिहार अपूर्ण तैयार किया गया है तथा न तो ग्राम पंचायत की पत्र प्रेषण क्रमांक अंकित है तथा नही दिनांक अंकित है। निलामी ईश्तिहार स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशन नही कराया है तथा न ही आम नीलामी का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 151 में निलामी कमेटी का गठन कर निलामी कमेटी के माध्यम से भूमि की आम निलामी करने का प्रावधान है लेकिन निलामी कमेटी का गठन नही किया गया है। भूमि की निलामी दिनांक 08—12—2009 से 09—12—2009 तक की गई है लेकिन इसका व्यापक प्रचार प्रसार नही किया गया है। ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा नीलामी कार्यवाही की गई है जबकि निलामी में सरकारी बोली डी.एल. सी. दर 55/— (पंचपन रुपये) निर्धारित है, जबकि नीलामी में सरकारी बोली 25/— रुपये (रुपये पच्चीस) प्रति वर्गफीट अपने स्तर पर निर्धारित कर नीलामी की गई है। इस प्रकार 30/— (तीस रुपये) प्रति वर्गफीट दर कम निर्धारित कर निलामी की गई है। आम निलामी हेतु आपत्ति नोटिस नियम 148 के अर्न्तगत एक माह का जारी किया गया है लेकिन इसमें न तो ग्राम पंचायत का पत्र प्रेषण क्रमांक अंकित है तथा प्रस्तावित भूखण्ड़ों का क्षेत्रफल अंकित नही है। भूमि का नजरी नक्शा बनाने वाले ग्राम सेवक पदेन सचिव के हस्ताक्षर नही है तथा न ही भूमि के प्लॉट का क्षेत्रफल व चतुर्दशी ही अंकित की गई। पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला कलेक्टर, सिरोही की उक्त रिपोर्ट में बिन्दु ''स—भूमि का आम निलामी से विक्रय'' में आम निलामी में विक्रय किये भूखण्ड़ों के जिन जिन व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये है उनके नाम भी अंकित किये गये है, जिसमें क्रम संख्या 1 व 6 पर अप्रार्थी पुखराज पुत्र कालुजी पुरोहित का नाम भी अंकित है।

इस प्रकार, पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही की उक्त जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा ग्राम

.....पेज आठ पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

फुंगणी के खसरा संख्या 431 में भूमि की निलामी की गई है, लेकिन भूमि का आबादी प्लान पंचायत नियमों के अन्तर्गत नही बनाया गया है, केवल सरपंच ने अपने स्तर पर प्लान तैयार कर हस्ताक्षर किये है। भूखण्ड़ों की नीलामी ईश्तिहार का स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन नही करवाया गया है तथा न ही नीलामी का प्रचार प्रसार किया गया है। ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा की गई उक्त नीलामी कार्यवाही में सरकारी बोली राशि रुपये 25/— प्रति वर्गफीट अपने स्तर से निर्धारित की गई है, जबकि उस समय सरकारी बोली डी.एल.सी. दर राशि रुपये 55/— (अक्षरे रुपये पचपन मात्र) प्रति वर्गफीट निर्धारित की हुई है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, फुंगणी ने 30/— (तीस रुपये) प्रति वर्गफीट दर कम करके भूखण्ड़ की नीलामी की गई है, जिससे ग्राम पंचायत, फुंगणी को आर्थिक रुप से नुकसान हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में भूमि विक्रय के प्रदत्त प्रावधानों के अनुरुप विधिवत प्रक्रिया अपनाये बिना ही भूखण्ड की नीलामी की कार्यवाही कर भूखण्ड़ का पट्टा जारी किया है, जो नियम विरुद्ध है तथा इससे ग्राम पंचायत, फुंगणी को राजस्व आय की क्षति हुई है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अन्र्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, फुंगणी द्वारा अप्रार्थी पुखराज पुत्र कालूजी पुरोहित, निवासी—फुंगणी के पक्ष में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट के भूखण्ड़ का आम नीलामी कार्यवाही में जारी पट्टा क्रम संख्या 09 दिनांक 10—12—2009 (जिस पर पट्टा नं. 29 बुक 139 दिनांक 10—12—2009 हस्तलिपि से अंकित है) को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, फुंगणी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुरुप उक्त भूखण्ड़ को पुनः आम नीलामी के माध्यम से विक्रय करने की कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *